राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र–136119

नीलामी सूचना

विज्ञापन संख्या: 8/2018

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र के निम्न विभागों/अनुभागों में पड़े नकारा व पुराने सामान व यन्त्रों (ई–कचरे को छोडकर) की नीलामी **"जहाँ है जैसी है"** के आधार पर **शनिवार, 03 फरवरी, 2018** को **दोपहर 11:30 बजे** की जाएगी।

1. अतिथि गृह,
2. फेकल्टी क्लब (संकाय क्लब),
3. परीक्षा अनुभाग,
4. स्वास्थ्य केन्द्र,
5. संपदा अनुभाग (निदेशक निवास ए–1),
6. खेल अनुभाग,
7. स्टोर अनुभाग,
8. प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट,
9. लडकों के छात्रावास (01 से 09),
10. लडकियों के छात्रावास (01),
11. भौतिक विज्ञान विभाग,
12. व्यवसाय प्रशासन विभाग,
13. सिविल अभियांत्रिकी विभाग,
14. अन्य जगहें।

सामान निरीक्षण का समय	: **सुबह 08:30 से 10:30 बजे**
अग्रिम राशि जमा करवाने का समय	: **सुबह 10:30 से 11:30 बजे**
नीलामी का समय	: **दोपहर 11:30 बजे से** ।
अग्रिम राशि	: बैंक डिमांड ड्राफ्ट **रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार)**

अग्रिम राशि का भुगतान केवल, निदेशक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरूक्षेत्र के पक्ष में, कुरूक्षेत्र में देय, बैंक डिमांड ड्राफ्ट के रूप में होगा, नकद राशी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। **सफल बोलीदाता का निर्धारण सभी बोलियों के अंत में अधिकतम संपूर्ण राशी के आधार पर किया जाएगा।** सफल बोलीदाता को **"हथौडे के स्ट्रोक" (प्रतीकात्मक) के तुरन्त बाद बोली की कुल राशी का, जी.एस.टी. सहित, 100 प्रतिशत जमा करवाना होगा।** नीलामी में केवल वही स्क्रैप–डीलर/पार्टनर/अधिकृत–व्यक्ति हिस्सा ले पायेंगे जिनके पास **कंपनी लैटर हैड पर स्वामित्व के प्रमाण पत्र, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड की मूल प्रति, और इनकी एवं नियम व शर्तो की स्वप्रमाणित प्रति** होगी, जो बोली से पूर्व संस्थान में जमा कर ली जाऐंगी। उक्त दस्तावेज जमा न करने की स्थिति में आवेदक का प्रवेश अस्वीकार कर दिया जाएगा। नीलामी के नियम व शर्तो के लिए संस्थान की वेबसाईट, www. nitkkr.ac.in पर जाएें। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्यदिवस में संस्थान के भण्डार अनुभाग में संपर्क कर सकते हैं।

कुलसचिव प्रभारी

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र – 136 119

नियम व शर्ते

1. ई–कचरे को छोडकर अन्य नकारा व पुराने सामान व यन्त्रों को **"जहाँ है जैसी है"** के आधार पर सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेचा जाएगा।

2. नीलामी, ढ़ेर/लौट के आधार पर की जाएगी।

3. प्रत्येक **स्क्रैप–डीलर/पार्टनर/अधिकृत–व्यक्ति** के पास **कंपनी लैटर हैड पर स्वामित्व का प्रमाण पत्र, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, एवं आधार कार्ड, मूल रूप** में और **इनकी स्वप्रमाणित फोटो प्रति** होना आवश्यक है, जो संस्थान में जमा कर ली जाऐंगी। उक्त प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में विभागाध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि किसी भी आवेदक के प्रवेश को अस्वीकार कर सकते हैं।

4. एक जी.एस.टी. नं० पर केवल एक ही बोलीदाता को बोली लगाने की अनुमति दी जाएगी।

5. **अग्रिम राशि का भुगतान** केवल, निदेशक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरूक्षेत्र के पक्ष में, कुरूक्षेत्र में देय, **बैंक डिमांड ड्राफ्ट** के रूप में होगा। अग्रिम राशि केवल सफल बोलीदाता को छोडकर बाकी सभी को लौटा दी जाएगी। **सफल बोलीदाता द्वारा जमा अग्रिम राशी, मॉल उठाने तक/पेमेन्ट अदायगी तक, सुरक्षित रखी जाएगी।**

6. प्रत्येक बोलीदाता को नीलामी से पूर्व, **50,000/– (पचास हजार रूपये)**, बतौर **अग्रिम राशि** संस्थान में जमा करवाने होंगे।

7. क्यूंकि नीलामी के माल की कीमत छोटी अनुमानित हो रही है, अतः उच्चतम बोलीदाता को **"हथौडे के स्ट्रोक"** (प्रतीकात्मक) के तुरन्त बाद बोली की **कुल राशी** का, **जी.एस.टी. सहित, 100 प्रतिशत** जमा करवाना होगा, ऐसा न करने पर संस्थान में जमा अग्रिम राशी जब्त की जा सकती है।

8. आवश्यकता पडने पर स्क्रैप/माल हटाने के लिए **जरूरी लेबर, हैवी फोर्कलिफ्टर/क्रैन या वेल्डिंग कटर** आदि के **प्रबन्ध व भुगतान की जिम्मेदारी सफल बोलीदाता** की होगी।

9. बोली की स्वीकृती के बाद संस्थान से **माल निर्धारित दिनों के भीतर उठाना होगा**। माल न उठाने की स्थिति में संस्थान में जमा राशी जब्त कर ली जाएगी और अगले उच्चतम बोलीदाता की बोली स्वीकृती हेतु ऑफर कर ली जाएगी।

10. सफल बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा **मॉल गेट पास जारी होने के बाद ही उठाया जाएगा।**

11. **सेल्स टैक्स/ जी.एस.टी.**, यदि देय है, की जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी। **मॉल की डीलीवरी**, टैक्स, की पेमेण्ट की अदायगी के बाद ही होगी।

12. नीलामी को निर्धारित अवधि के भीतर ही पूरा करने की कोशिश की जाएगी। यदि इसे पूरा नहीं किया जा सका तो आगे बढाया जा सकता है।

13. निदेशक व विभागाध्यक्ष बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को अस्वीकार या नीलामी को रद्द कर सकते हैं।

14. बोली के आवंटन के सभी अधिकार, निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र के पास सुरक्षित हैं।

15. किसी भी विवाद के मामले में निदेशक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरूक्षेत्र का निर्णय अंतिम होगा।

कुलसचिव प्रभारी